तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र धारा 128 एल आर एक्ट निस्तारण किया जाता है। निस्तारित निर्णय इन्द्राज के [illegible] शामिल पत्रावली किया जावे। आदेश [illegible] गया। Signature Not Verified Digitally signed by Prem Raj Meena Date: 2026.05.01 13:00:59 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0/न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
6/24	128 एलआर एक्ट	07.05.2025	18.12.2025

उनवान

इन्दर सिंह पुत्र फतेहसिंह उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पत्नि द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
2. गोदावरी पत्नि रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
3. चक्रपाणि पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
4. दयाल दत्तक पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
5. फूलबाई पत्नि धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
6. भोले पुत्र भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
7. मदनमोहन पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
8. रेवती पत्नि श्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
9. राधारमन पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
10. रामप्रकाश पुत्र भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
11. रामरति पत्नि भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
12. वेदप्रकाश पुत्र भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली
13. विजय पुत्र भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

14. वीरेन्द्र पुत्र भम्मू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

15. शिवलरी पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

16. सतीश पुत्र द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

17. सोनू पुत्र श्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

18. शेरा पुत्र स्व0 ब्रहसिंह

19. कप्तान पुत्र स्व0 ब्रहसिंह

20. बृजेश पुत्र स्व0 ब्रहसिंह

सभी जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

21. बनेसिंह पुत्र बिहारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाडी पोस्ट गुडला तहसील व जिला करौली

22. हनुमान सहाय पुत्र उमराव जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा पोस्ट उरदैन तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल जिला गंगापुरसिटी

23. जिला वन अधिकारी करौली

24. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली (राज0)

—अप्रार्थीगण

—::निर्णय::— **दिनांकः—18.12.25**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 381/1 रकबा 1.0369 है0 ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का गुडला तहसील व जिला करौली में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थी फसल काश्त कर काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 से अप्रार्थीगण के हक हिस्से व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/2 रकबा 80.852 है0 वन विभाग करौली की भूमि एवं खसरा नंबर 381/410 रकबा 0.4426 है0 एवं खसरा नंबर 381/406 रकबा 0.3794 है0 एवं खसरा नंबर 381/407 रकबा 1.4542 है0 स्थित ग्राम बल्लुपुरा प[illegible] गुडला तहसील व जिला करौली से लगी हुई है। सबूतन नक्शा प्रति व जमाबंदी की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि की प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण ताक[illegible] है जबकि प्रार्थी कमजोर व गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थीगण अपनी तकत के बल पर मु[illegible]र्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 है0 को सीमा विवाद कर हडपना चाहते है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर, प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा दीवाल करने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा दीवाल करने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी से झगडा करने पर आमादा हो जाते है और इसी क्रम में दिनांक 20.04.2024 को अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी से ऐलानिया कहा है कि जब तक लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली से सीमांकन

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mo
Date: 2026.05.01 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढी प्रार्थी नहीं कराएगा तब तक प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 381/4 की सुरक्षा दीवाल या डौल नहीं करने देंगे। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की कृषि भूमि की सुरक्षा दीवाल नहीं होने से प्रार्थी की फसल को मवेशियां चर कर नष्ट कर देती है जिससे प्रार्थी उचित फसल लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है एवं अप्रार्थीगण सीमा विवाद खडा कर प्रार्थी की फसल काश्त में दखल व व्यवधान पैदा करते है। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमांकन, पत्थरगढी अप्रार्थी संख्या 24 लैण्ड हॉल्डर करौली से कराने का अधिकारी है और अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 है0 स्थित ग्राम बल्लुपुरा में सीमा विवाद व व्यवधान फसल काश्त करने में उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 की भूमि से खसरा नंबर 381/410, 381/406, 381/407 व 381/2 लगी हुई है जिनके खातेदारी नाम है उनमें से कुछ खातेदार की मृत्यु हो गई है उनमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। आवेदन के साथ सीमांकन रिपोर्ट की प्रति पेश है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7 ता 11, 14 ता 22 बावजूद शामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 23 का जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 6, 12, 13 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी सायल को अपनी खातेदारी की भूमि की मौके की कोई जानकारी नहीं है। उसने अपने खातेदारी की भूमि की चतुर्दिक स्थिति का वर्णन स्पष्टतया नहीं किया है। उसकी खातेदारी की भूमि के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में किस–किस की खातेदारी भूमियों है दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी सायल खारिज किये जाने योग्य है। किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी सायल के मध्य नहीं है। झूंठे तथ्य अंकित किये है। दिनांक 20.04.2024 को कोई विवाद हमारे मध्य नहीं हुआ। पूर्व से ही हम अप्रार्थीगण की जमीन की डौल–मेड हो रही है जो सायल के एलाूटमेंट से काफी पहले की है। हमारे व प्रार्थी सायल के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ, झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी सायल की भूमि पर सायल द्वारा ना तो कभी काश्त की गई ह ना ही सायल का कब्जा है तो फसल को मवेशियों द्वारा [illegible] तथ्य स्वतः ही झूंठा हो जाता है। प्रार्थी सायल द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर पूर्व [illegible] अन्य खातेदारी भूमि होने के बावजूद अपने आपको भूमिहीन कृषक बताते हुए [illegible] से यह फर्जी एलॉटमेंट करवाकर भूमि प्राप्त की है जो ना तो काबिले काश्त ह ना ही आज तक सायल द्वारा कोई काश्त की गई है। फिर भी सायल द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र [illegible] तहसीलदार करौली के यहां आवेदन प्रस्तुत करके अपनी आराजी की नाम हल्का पटवारी व राजस्व कर्मियों के द्वारा करवा ली है। हमारे भूमि में सायल की भूमि का कोई हिस्सा नहीं है और हम अप्रार्थीगण की भूमि की पूर्व से ही डौल मेड हो रही है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.01 13:00:59 IS
Reason: SelfAttested

प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 381/1 रकबा 1.0369 है0 ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का गुडला तहसील व जिला करौली में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थी फसल काश्त कर काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 से अप्रार्थीगण के हक हिस्से व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/2 रकबा 80.852 है0 वन विभाग करौली की भूमि एवं खसरा नंबर 381/410 रकबा 0.4426 है0 एवं खसरा नंबर 381/406 रकबा 0.3794 है0 एवं खसरा नंबर 381/407 रकबा 1.4542 है0 स्थित ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का गुडला तहसील व जिला करौली से लगी हुई है। सबूतन नक्शा प्रति व जमाबंदी की प्रति प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि की प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण ताकतवर एवं पैसे वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी कमजोर व गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थीगण अपनी तकत के बल पर मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 है0 को सीमा विवाद कर हडपना चाहते है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर, प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा दीवाल करने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा दीवाल करने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी से झगडा करने पर आमादा हो जाते है और इसी क्रम में दिनांक 20.04.2024 को अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी से ऐलानिया कहा है कि जब तक लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली से सीमांकन पत्थरगढी प्रार्थी नहीं कराएगा तब तक प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 381/4 की सुरक्षा दीवाल या डौल नहीं करने देंगे। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की कृषि भूमि की सुरक्षा दीवाल नहीं होने से प्रार्थी की फसल को मवेशियां चर कर नष्ट कर देती : जिससे प्रार्थी उचित फसल लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है एवं अप्रार्थीगण सीमा विवाद बडा कर प्रार्थी की फसल काश्त में दखल व व्यवधान पैदा करते है। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमांकन, पत्थरगढी अप्रार्थी संख्या 24 लैण्ड हॉल्डर करौली से कराने का अधिकारी है और अप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 है0 स्थित ग्राम बल्लुपुरा में सीमा विवाद व व्यवधान फसल काश्त करने में उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 की भूमि से खसरा नंबर 381/410, 381/406, 381/407 व 381/2 लगी हुई है जिनके खातेदारी नाम व उनमें से कुछ खातेदार की मृत्यु हो गई है उनमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए उन्हें वादकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रार्थी सायल को अपनी खातेदारी भूमि की मौके की कोई जानकारी नहीं है। उसने अपने खातेदारी की भूमि की चतुर्सीमा का वर्णन स्पष्टतया नहीं किया है। उसकी खातेदारी की भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस–किस की खातेदारी भूमियों है दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी सायल खारिज किये जाने योग्य है। किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी सायल के मध्य नहीं है। झूंठे तथ्य अंकित किये है। दिनांक 20.04.2024 को कोई विवाद हमारे मध्य नहीं हुआ। पूर्व से ही हम अप्रार्थीगण की जमीन की डौल–मेड हो रही है जो सायल के एलाटमेंट से काफी पहले की है। हमारे व प्रार्थी सायल के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ, झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:59
Reason: SelfAttested

योग्य है। प्रार्थी सायल की भूमि पर सायल द्वारा ना तो कभी काश्त की गई है ना ही सायल का कब्जा है तो फसल को मवेशियों द्वारा नष्ट करने का तथ्य स्वतः ही झूंठा हो जाता है। प्रार्थी सायल द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर पूर्व से अन्य खातेदारी भूमि होने के बावजूद अपने आपको भूमिहीन कृषक बताते हुए धोखाधडी कर सरकार से यह फर्जी एलॉटमेंट करवाकर भूमि प्राप्त की है जो ना तो काबिले काश्त है ना ही आज तक सायल द्वारा कोई काश्त की गई है। फिर भी सायल द्वारा दौराने प्रार्थना पत्र ही तहसीलदार करौली के यहां आवेदन प्रस्तुत करके अपनी आराजी की नाम हल्का पटवारी व अन्य राजस्व कर्मियों के द्वारा करवा ली है। हमारे भूमि में सायल की भूमि का कोई हिस्सा नहीं है और हम अप्रार्थीगण की भूमि की पूर्व से ही डौल मेड हो रही है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की वहस सुनी गई एवं वहस का मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी भूमि के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांके बल्लुपुरा पटवार हल्का गुडला तहसील व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि के आराजी खसरा नंबर 381/4 रकबा 1.0369 है0 एवं खसरा नंबर 381/410 एवं 381/406 एवं 381/407 एवं 381/2 वांके ग्राम बल्लुपुरा पटवार हल्का गुडला तहसील व जिला करौली भूमि की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:59 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली